IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

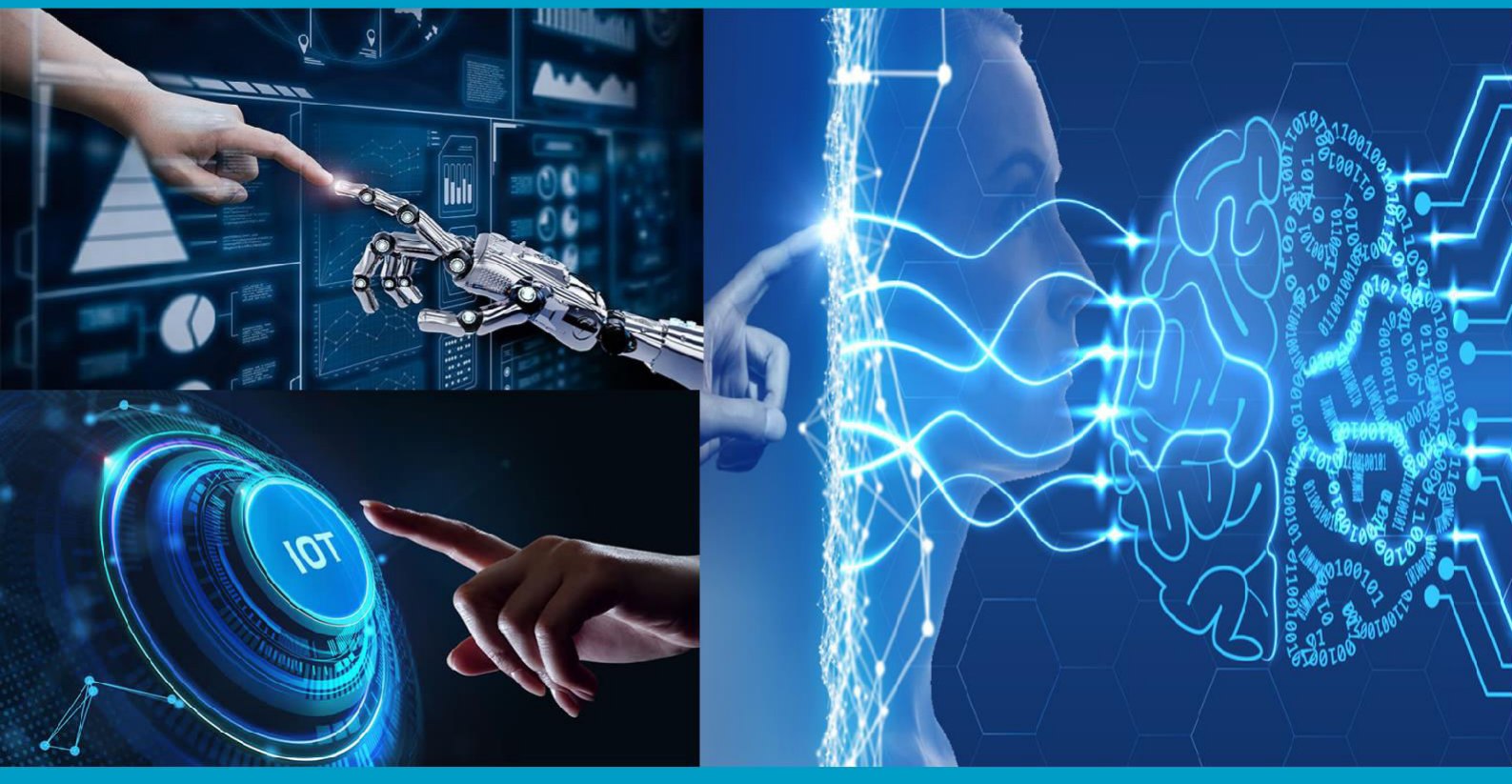

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 3, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 3, March 2023 |

भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका- एक अध्ययन

Snehlata Yadav

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

भारतीय राजनीति में धर्म का महत्व है. इसका असर देश की राजनीति और लोकतंत्र पर पड़ता है . भारत में कई धर्म हैं और लोगों की आस्थाएं मजबूत हैं। ये मान्यताएं राजनीति को प्रभावित करती हैं. भारत में धर्म का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता रहा है। राजनीति में धर्म का प्रयोग सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए किया गया है.' चुनाव जीतने या हारने में राजनीति की अहम भूमिका रही है. इसने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परिचय

भारत की राजनीति देश के संविधान के दायरे में काम करती है । भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत का प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है । यह सरकार के संघीय ढांचे पर आधारित है, हालाँकि इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। भारत दोहरी राजनीति प्रणाली का पालन करता है, अर्थात प्रकृति में संघीय, जिसमें केंद्र में केंद्रीय प्राधिकरण और परिधि पर राज्य शामिल होते हैं। संविधान केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की संगठनात्मक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है; यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, तरल है (संविधान की प्रस्तावना कठोर है और संविधान में आगे के संशोधनों को निर्देशित करती है) और सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात राष्ट्र के कानूनों को इसके अनुरूप होना चाहिए।[1,2,3]

इसमें द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है जिसमें एक ऊपरी सदन , राज्यसभा (राज्यों की परिषद), जो भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और एक निचला सदन , लोकसभा (लोगों का सदन), जो प्रतिनिधित्व करती है। समग्र रूप से भारत के लोग। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है , जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय करता है । न्यायालय का कार्य संविधान की रक्षा करना, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना, अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाना, संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य कानून को रद्द करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, रिट जारी करना है । उल्लंघन के मामलों में उनके प्रवर्तन के लिए। [1]

लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जो 543 एकल-सदस्यीय जिले से बहुलता मतदान (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग करके चुने जाते हैं । राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं; 12 अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित/नामांकित होते हैं। सरकारें हर पांच साल में होने वाले चुनावों के माध्यम से बनाई जाती हैं (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो), उन पार्टियों द्वारा जो अपने संबंधित निचले सदनों (केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यों में विधान सभा) में सदस्यों का बहुमत हासिल करती हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था, एक राजनीतिक दल जो 1977 तक बाद के चुनावों में हावी रहा , जब स्वतंत्र भारत में पहली बार एक गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। 1990 के दशक में एकल-दलीय प्रभुत्व का अंत हुआ और गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। नवीनतम 17वीं लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक सात चरणों में आयोजित किए गए थे। उस चुनाव ने एक बार फिर देश में एकदलीय शासन को वापस ला दिया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा में बहुमत का दावा करने में सक्षम रही। [2]

हाल के दशकों में भारतीय राजनीति वंशवाद का मामला बन गई है। [3] इसके संभावित कारण पार्टी की स्थिरता, पार्टी संगठनों की अनुपस्थिति, पार्टियों के लिए समर्थन जुटाने वाले स्वतंत्र नागरिक समाज संघ और चुनावों का केंद्रीकृत वित्तपोषण हो सकते हैं। [4] वी-डेम डेमोक्रेसी सूचकांकों के अनुसार भारत एशिया का 19वां सबसे अधिक चुनावी लोकतांत्रिक देश था ।

प्राचीन समय से 'धर्म और राजनीति' अथवा 'राजनीति और धर्म' में गहरा संबंध रहा है। जब-जब धर्म व राजनीति का नकारात्मक मिलन हुआ है तब तब राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है जो आज भी जारी है। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने को तैयार है। प्रारंभ में धर्म, शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक बना लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया और अपने अनुयाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध की है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म से पृथक हुए कुछ वर्गों ने शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता वह अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया। धर्म की आड़ में साम्राज्य का विस्तार किया गया और अनेक देशों में परस्पर

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 3, March 2023 |

युद्ध हुए। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्तरंजित हुआ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा किंतु धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों की बाढ़ आ गई है। आतंकवादियों ने दूसरे धर्म अनुयायियों को अकारण शिकार बनाना आरंभ कर दिया भारत इसका सबसे बड़ा शिकार है।[4,5,6]

धर्म व राजनीति के सम्बन्ध

राम मनोहर लोहिया के अनुसार "धर्म और राजनीति के दायरे अलग-अलग हैं परन्तु दोनों की जड़ें एक ही धर्म दीर्घकालीन राजनीति में जब की राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है तो वह कलही हो जाती है, इसलिए आवश्यक नहीं कि धर्म और राजनीति के मूल तत्व को समझा जाए। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मालवीय कल्याण में साधक होता है जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है जो मानवता के लिए अनिष्ट कारी होता है। इस अविवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। धर्म और राजनीति को पृथक करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहे किंतु दोनों एक–दूसरे का अपने ही निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग न करें।

वस्तुतः धर्म और राजनीति में सदैव मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे का परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सकें। नीतिगत धर्म पर धर्मप्रद राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए अपरिहार्य है। राजनीति का धर्म को और धर्म का राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे धार्मिक प्रतिक्रियावाद, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता व गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो स्वतंत्रता और समानता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावित करती हैं, इसलिए आज विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है।

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्व में भी धर्म और सांप्रदायिकता को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है जहां एक और धर्म का प्रयोग तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी और धर्म का प्रभाव और शक्ति अर्जित करने का एक माध्यम भी मान लिया गया है। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को अपनाया है। भारतीय राजनीति में धर्म की निर्मल की भूमिका देखी जाती है-

1. धार्मिक व सांप्रदायिक राजनीतिक दल- स्वतंत्रता पूर्व ही भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होने लगा था। जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होने के बावजूद यह राजनैतिक दल न केवल अस्तित्व में रहे बल्कि धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते रहे। यह सांप्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते हैं धर्म के आधार पर प्रत्याशियों को चुनाव करते हैं और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं।

2. धार्मिक दबाव समूह- धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूह की भूमिका अदा करते हैं। यह समूह न केवल शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। उदाहरण के रूप में हिंदुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया किंतु अन्य संप्रदाय के संबंध में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। भारत में कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण एक समान सिविल संहिता का निर्माण नहीं हो सका है।

3. पृथक राज्यों की मांग- अनेक बार अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग भी की जाती है। पंजाब में अकाली दल द्वारा अलग राज्य की मांग ऊपरी स्तर पर तो भाषा ही नजर आती है परंतु यथार्थ रूप से यह धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग थी। आगे कुछ ऐसा ही नागालैंड के ईसाई समुदाय ने भी पृथक राज्य की मांग का आधार तैयार किया है।[7,8,9]

4. मंत्रिमंडल का निर्माण- केंद्र एवं राज्य के मंत्रिमंडल के निर्माण में भी हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख धार्मिक संप्रदायों के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।

5. उम्मीदवारों का चुनाव- सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। ऐसा करते समय लगभग सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के धर्म तथा चुनाव क्षेत्र के लोगों के धर्म के प्रति विशेष ध्यान देते हैं। इस प्रकार धर्म को समक्ष रखकर उम्मीदवारों का चयन भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिक प्रभाव दर्शाता है।

6. धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति- भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती हैं तथा सरकार बहुमत के आधार पर लोगों के मतों से बनाई जाती हैं, इसलिए प्रत्येक दल बहुमत प्राप्त करना चाहता है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए सभी राजनीतिक दल कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक मत प्राप्त कर सके इस प्रकार की गतिविधियां राजनीति को सांप्रदायिकता रंग देने के लिए उत्तरदायी होती है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 3, March 2023 |

7. धर्म के आधार पर प्रतिनिधि- प्रत्येक राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का प्रयास करते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने उम्मीदवारों की सूची में शामिल करें, ताकि उन धर्मों के लोग उस दल को मत दे तथा संतुष्ट रहे।

8. धर्म पर आधारित चुनाव विश्लेषण- भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव को इस बात में भी अनुमानित किया जा सकता है कि जो चुनाव विश्लेषण पत्रिकाओं में छपते हैं वे भी मुख्यतः धर्म एवं जाति पर आधारित होते हैं। विश्लेषणकर्ता चुनाव निष्कर्ष मतदाताओं के धर्म एवं उम्मीदवारों के धर्म के आधार पर ही निश्चित करता है।\

भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने सम्पूर्ण भारत के लोगों को भ्रातृत्व के सूत्र में बांधने के ख्याल से ही संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि धर्म को राजनीति से हटा दिया जाय लेकिन व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिक से से नहीं मिट सका और आज भी राजनीति में धर्म और संप्रदाय में भेदभाव विद्यमान है। आज के राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के रूप में मानते और अपनाते हैं। आम चुनाव के दिनों में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। संक्षेप में भारतीय राजनीति में धर्म एवं संप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरूद्ध हुआ है। अतः आवश्यकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम अपनी समस्त संघ संकीर्णताओं को तिलांजलि देते हुए राजनीतिक चेतना की जनसाधारण में वृद्धि करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में अपना सकारात्मक सहयोग दें, तभी भारत में सच्चे धर्म निरपेक्ष राज्य का स्वरूप कायम हो सकता है।[10]

विचार-विमर्श

जिस प्रकार नमक का धर्म खारापन, पानी का धर्म तरलता, शीतलता, अग्नि का धर्म ऊष्मा एवं प्रकाश तथा पृथ्वी की दृढ़ता है वैसे ही मानव का धर्म मानवता होता है। अपने इस धर्म से निरपेक्ष होने पर उनकी उपयोगिता और महत्ता स्वतः नष्ट हो जाती है।

जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म एवं राजनीति का मेल घातक माना जाता है। इसे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों द्वारा भ्रम के रूप में लाया गया है। इसे हम एक भय के रूप में पाल पोश रहे हैं इसके सामने गांधीजी के इस सम्यक दर्शनपूर्ण आग्रह की भी परवाह नहीं की कि "धर्म विहीन राजनीति" मधुमक्खी के छत्ते की तरह है जिसमें मधु को कुछ नहीं होता, किंतु वहाँ काटने वाले विषैले बर्रे के झुंड जरूर होते हैं। समस्या का हल भ्रम द्वारा नहीं अपितु केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से ही हो सकता है।

वर्तमान धर्म एवं राजनीति के स्वरूप को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की जरूरत है। भ्रमित ज्ञान के आधार पर हम धर्म एवं राजनीति और इनके मेलजोल पर सम्यक निश्चय नहीं कर सकते। इसके लिये धर्म और राजनीति तथा इनके परस्पर संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ में सही विवेचन करना आवश्यक है।

अगर धर्म की बात करें तो धर्म एक ऐसा दिव्य मंत्र है, जो संपूर्ण सृष्टि के धारण एवं संचालन के निमित्त, संपूर्ण मानवता, मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति को प्राप्त कराने हेतु सभी प्रकार के कर्मों के निर्धारण एवं संपादन द्वारा मुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था करता है। आदि पुरुष मनु के अनुसार धर्म का स्वरूप-

धृति क्षमा दमोस्तेय, शौचमिन्द्रिय निग्रहः।

धी: विधा सत्यम् अक्रोधो दशकम धर्मलक्षणम्

अर्थ- अर्थ सत्य, अहिंसा, अक्रोध, ईश्वर, धैर्य, क्षमा अंदर और बाहर की शुद्धि, अस्तेय, विद्या एवं विवेक धारण यह मनुष्य मात्र के धर्म माने जाते हैं। धर्म रूपी व्यवस्था के पालन से व्यक्ति एवं समाज दोनों की उन्नति साथ-साथ होती है एवं किसी का अहित भी नहीं होता। यह सत्य है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सुव्यवस्था में जितना स्थान पुलिस और प्रशासन का होता है उससे कहीं ज्यादा योगदान धर्म के मूलभूत तत्त्वों एवं सिद्धांतों का होता है।

अगर राजनीति की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि राजनीति सामाजिक व्यवस्था का ही एक रूप है। एक निश्चित भूमि पर अपनी विशिष्ट संस्कृति और एकात्मक बहाव के साथ जीवन यापन करने वाले जब अपने राष्ट्र को जनहित में संचालित करने हेतु उचित नीति और व्यवस्था का पालन करते हैं, वह राजनीति कहा जाता है।

धर्म एवं राजनीति के स्वरूप की सम्यक विवेचना एवं समृद्ध दर्शन के उपरांत यह भ्रम खत्म हो जाता है कि राजनीति और धर्म का मेल घातक भी हो सकता है। राजनीति वह कार्यकारी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित किया जाता है। वही धर्म, मानव के मूलभूत तत्त्व है जो उसे सुख, शांति, सामंजस्य और समृद्धि के साथ रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों की बदौलत ही व्यक्ति और समाज लौकिक एवं परलोकिक उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म एवं राजनीति एक ही

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 3, March 2023 |

उद्देश्य को प्राप्त करने के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं का मेल एक दूसरे की क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है।[11,12,13]

सामाजिक सुव्यवस्था स्थापित करने वाली राजनीति में मान्य सिद्धांतों का समावेश अनावश्यक है तभी इस दिशा में व्याप्त भ्रम दूर हो सकेगा। समावेशन न होने की स्थिति में हिंसा, अलगाव, दंगे, हाथापाई, हिंसक प्रदर्शन, हड़ताल, भ्रष्टाचार आदि में दिनोंदिन वृद्धि होगी। धर्म का प्रभाव न रहने से अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। जैसा की विधित है प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार का प्रभुत्व हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीति में धर्म का मेल घातक नहीं अपितु मंगलकारी ही होता है

परिणाम

भारत में साम्प्रदायिक राजनीति का प्रारम्भ ब्रिटिश काल में हो गया था, क्योंकि अंग्रेज भारत में 'फूट डालो राज करो' की अपनी नीति के तहत हिन्दू एवं मुसलमानों को लड़ाते रहे और यहां शासन करते रहे। उनकी इस कुटनीति की परिणति अगस्त, 1947 में भारत के विभाजन में हुई। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया जिसके द्वारा भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'धर्म-निरपेक्ष' शब्द संविधान की प्रतावना में जोड़कर यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में सामप्रदायिकता जारी रही। साम्प्रदायिकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए 40 वर्षो के अंदर देश में लगभग 5000 साम्प्रदायिक घटनाएँ घटीं। 1961 में साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से देश में 61 जिले गड़बड़ी वाले माने गए थे, जबकि 1987 में इनकी संख्या बढकर 98 हो गयी। दिसम्बर, 1992 में अयोध्या में हुई घटना ने तो सम्पूर्ण देश को अपनी चपेट में लिया था। 2002 में गुजरात में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में हजार से भी अधिक लोगों की हत्या एवं सितम्बर, 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में 63 लोगों का मारा जाना सिद्ध करता है कि साम्प्रदायिकता हमार सार्वजनिक जीवन का एक अंग बन गयी प्रतीत होती है। पिछले कुछ वर्षों से तो यह भारतीय राजनीति पर पूरी तरह छा गयी है। आज अधिकतर राजनीतिक दल साम्प्रदायिक राजनीति का खेल खेल रहे हैं, किन्तु प्रत्येक राजनीतिक दल स्वयं को 'धर्म-निरपेक्ष' और अपने प्रतिद्वंद्वी दलों को साम्प्रदायिक अथवा 'छद्म धर्म-निरपेक्ष' बताता है।

धर्म और राजनीति का सहअस्तित्व लोकमंगलदाता है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर सैकड़ों वर्ष से राष्ट्रीय अभिलाषा है। अनेक प्रयास हुए। अनेक जीवन गए। व्यापक संघर्ष हुआ, लेकिन तत्कालीन राजनीति धर्म के साथ नहीं खड़ी हुई। अब राजनीति और धर्म के कर्तव्यपालन से करोड़ों लोगों का स्वप्न पूरा हुआ है। स्वतंत्र भारत में धर्म और राजनीति के बीच शत्रुता का भाव था। यहां धर्म और आधुनिक राजनीति के रिश्ते यूरोपीय माडल से संचालित होते रहे थे। यूरोप में राजव्यवस्था और चर्च के मध्य अधिकारों को लेकर लंबा संघर्ष चला। संघर्ष टालने के लिए चर्च और राजा के कार्यों में विभाजन हुआ। सांसारिक कार्य राजनीति और राजव्यवस्था के हिस्से आए और पंथिक कार्य चर्च को मिले। यही माडल भारत आया। यहां पंथ का अर्थ धर्म हो गया। राजनीति और धर्म अलग हो गए। राजनीति निंदित क्षेत्र हो गया और धर्म सांप्रदायिक। सामान्य घटनाओं पर भी लोग टिप्पणी करते हैं कि इस काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संप्रति राजनीतिक-संवैधानिक संस्थाओं और धर्म के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं। जबकि कायदे से प्रत्येक चुनौतीपूर्ण काम में आदर्श राजनीति होनी चाहिए।[14,15,16]

निष्कर्ष

धर्म का कार्य है लोगों को सदाचारी और प्रेममय बनाना और राजनीति का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उनके हित में काम करना. जब धर्म और राजनीति साथ-साथ नहीं चलते, तब हमें भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और कपटी धार्मिक नेता मिलते हैं.एक धार्मिक व्यक्ति, जो सदाचारी और स्नेही है, अवश्य ही जनता के हित का ध्यान रखेगा और एक सच्चा राजनीतिज्ञ बनेगा एक सच्चा राजनीतिज्ञ केवल सदाचारी और स्नेही ही हो सकता है, इसीलिए उसे धार्मिक होना ही है। परन्तु राजनीतिज्ञ को इतना भी धार्मिक न होना है जो दूसरे धर्मों की स्वतन्त्रता और उनकी विधियों पर बंदिश लगाये। राजनीति और धर्म दोनों ही हर वर्ग के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय है जो कभी भी एक दूजे से अलग न होसकते मगर राजनीति की दशा और दिशा के बारे में सोच बदलने की आवश्यकता है।

इस समय धर्म की राजनीति को लेकर तमाम सवाल, आरोप-प्रत्यारोप उठ रहे हैं.एक राजनीतिज्ञ को धर्मिक होना ज़रूरी है. धर्म के बिना समर्थ और सार्थक राजनीति नहीं हो सकती.हमारे राजनीतिज्ञ को राजनीति के धर्म का पालन करना होगा ऐसा न हो की धर्म की राजनीती की जाये । भारतीय राजनीति के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद से अबतक जिस तरह से देश में राजनेताओं ने राजनीति की है वह सोचनीय है एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जो कुछ मैं ने पढ़ा या समझा इस नतीजे पे पहुंचा के आज भारतीय राजनेता जो सत्ता पे आसीन हैं या फिर विपक्ष में राजनीति का धर्म एवंम सिद्धान्तों को भुला कर धर्म की राजनीति कर सत्ता पे कब्ज़ा जमाये हुए हैं।[17,18,19]

भारत देश जिस ने पूरी दुनिया को (universal acceptance)का पाठ पढ़ाया हो जिस ने विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया हो। वह भारत देश जो कभी सोने की चीड़या हुवा करता था जहाँ की गंगा जमुनी तेहज़ीब की दुहाई दी जाती थी, जहाँ विश्व् भर

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 3, March 2023 |

में सब से ज़्यादा भाषाएँ और धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हों ,जहाँ की एकता और अखण्डता इतिहास रचता हो, जहाँ की सभ्यता को दूसरे देशों में मिसाल बताया जाता हो दरअसल भारत में राजनेताओं ने राजनीति का धर्म भुला कर अपनी ज़िम्मेदारी के क़र्ज़ को अपने से अलग कर दिया है।

और धर्म की राजनीती करके देश ,राज्य के सत्ता को हथिया कर मुख्या के रूप में आसीन होना चाहते हैं। देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी समुदाय से हो किसी धर्म में आस्था रखता हो उसको देश में किसी भी तरह का दंगा फसाद खून खराबा स्वीकार नहीं होगा .जहाँ केवल और केवल मानवता और मासूम की जान जाती हो। क्या हम और आप ने कभी इस बारे में सोचा है की हमारी भावना संवेदना क्यों उन राजनेताओं के हाथों में है जो कभी भी देश में शांति नहीं चाहते। क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है किसी को इस्लाम किसी को ईसाईयत खतरे में लगता है। मगर इन सारी बातों इन सारे धर्मों से ऊपर जो मानवता का धर्म है उसकी फ़िक्र किसी को भी नहीं है। कहीं धर्म तो कहीं नस्लवाद की लड़ाई जारी है भारत में धर्म और नस्लवाल की लड़ाई को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता देश की जनता की आँखें तरस गयी इस बात के लिए की जिस नेता को अपना बहुमूल्य वोट देके सत्ता तक पहुंचाया कभी वो जनता से किये गए वादों को पूरा करने हेतु सरकार से लड़ाई करता, कभी वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सस्ती शिक्षा,बेरोजगारी,स्वास्थ्य,बिजली,पानी जीवन सुरक्षा के मसले हल न होने के कारण अनशन करता। आज देश के हर कोने में हर धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है, इस लड़ाई में आज तक अनगिनत जानें जा चुकी हैं और न जाने कितनी और जानें जाती रहेगी. आज हर कोई मानवता के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करता है, मगर कभी ईमानदारी से उसी मानवता की सेवा के लिए अपनी सोच बदलने की कोशिस की? कभी नहीं क्योंकि हमारी मानसिक्ता में व्योहारवाद ही नहीं । हम एक ऐसे माहोल में जीते हैं जहां परम्पराओं को तोडक़र उस से आगे की सोचना हमारे आचरण में नहीं है.या अंधविश्वास की बंदिश से आज़ाद होना हमारे बस में नहीं , यही कारण है कि हम अपने असली धर्म और उसकी परिभाषा को भूल गए है।[20]

संदर्भ

1. एम. लक्ष्मीकांत 2012 , पीपी. 389-390।
2. ^ "आम चुनाव 2014" । भारत चुनाव आयोग । मूल से 23 मई 2014 को संग्रहीत । 21 मई 2014 को लिया गया .
3. ^ "वंशवाद की राजनीति में जवाबदेही की जरूरत" । dailypioneer.com । 17 जनवरी 2017 को मूल से संग्रहीत । 17 जनवरी 2017 को लिया गया .
4. ^ ऊपर जायें:[ए बी] छिब्बर⇑, प्रदीप (मार्च 2013)। "वंशवादी पार्टियाँ संगठन, वित्त और प्रभाव"। दलगत राजनीति . 19 (2): 277-295. डीओआई : 10.1177/1354068811406995 । एस2सीआईडी 144781444 ।
5. ^ वी-डेम इंस्टीट्यूट (2022)। "वी-डेम डेटासेट" । 14 अक्टूबर 2022 को लिया गया ।
6. ^ चंदर 2001 , पीपी 389-390।
7. ^ क्रिज़िस्तोफ़ इवानेक (2 नवंबर 2016)। "भारतीय पार्टी प्रतीकों की उत्सुक कहानियाँ" । राजनयिक । 19 अप्रैल 2017 को मूल से संग्रहीत । 19 अप्रैल 2017 को लिया गया ।
8. ^ ऊपर जायें:[ए बी] "भारत निर्वाचन आयोग प्रेस नोट" । 5 मार्च 2016 को मूल से संग्रहीत । 13 मार्च 2014 को लिया गया .
9. ^ हिकेन और कुहोंटा 2014 , पृ. 205.
10. ^ अग्रवाल, पुरूषोत्तम (1 सितंबर 1999)। "पहचान की बहस ने भारत के चुनावों पर ग्रहण लगा दिया" । ले मोंडे डिप्लोमैटिक । 20 सितंबर 2022 को लिया गया ।
11. "भारत" । Transparency.org । 31 जनवरी 2022 । 9 सितंबर 2022 को पुनःप्राप्त .
12. ^ "इंडियनमिरर- भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार" ।
13. ^ "राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करते हैं" । हिंदुस्तान टाइम्स । क्रमांक 26 मार्च 2018. 22 अप्रैल 2019 को मूल से संग्रहीत । 22 अप्रैल 2019 को लिया गया ।
14. ^ वैष्णव, मिलन (2011)। जाति की राजनीति, विश्वसनीयता और आपराधिकता: भारत में राजनीतिक चयन । एपीएसए 2011 वार्षिक बैठक। एसएसआरएन 1899847 ।
15. ^ लक्ष्मीकांत, एम (2017)। भारतीय राजव्यवस्था . मैकग्रा हिल. पी। 1145.
16. ^ "भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आपका स्वागत है" (पीडीएफ) । Indianembassy.org . 26 जनवरी 2012 को मूल से संग्रहीत ।
17. ^ प्रियंका शाह (1 नवंबर 2014)। "भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह अटल जी के बारे में 13 आश्चर्यजनक तथ्य" । टॉपयाप्स । 11 सितंबर 2014 को मूल से संग्रहीत । 16 मई 2014 को लिया गया .
18. ^ "आतंकवाद विरोधी कानून" । मनुष्य अधिकार देख - भाल । 20 नवंबर 2001. 3 जुलाई 2017 को मूल से संग्रहीत । 6 अगस्त 2019 को लिया गया ।
19. ^ गुहा 2008 , पीपी. 637-659 ।
20. ^ "अयोध्या फैसले के बाद शिवसैनिक शांति बनाए रखेंगे: उद्धव" । हिंदुस्तान टाइम्स । एचटी मीडिया लिमिटेड 3 मार्च 2014 को मूल से संग्रहीत । 13 मार्च 2014 को लिया गया

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com